

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत, जिला अल्मोडा।

फौ0 वा0 सं0— 284 / 2022

सरकार

बनाम

पान देव जोशी

19.12.2022: पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया।

अभियुक्त पान देव जोशी अपने विद्वान अधिवक्ता श्री सी0पी0पाण्डे के साथ न्यायालय में उपस्थित है। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना खान न्यायालय में उपस्थित है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी श्रीमती हंसी जोशी न्यायालय में उपस्थित है। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू-1 श्रीमती हंसी देवी की मुख्य परीक्षा करायी गयी, मुख्य परीक्षा में डी0वी0डी0 न्यायालय में चलाया गया, किन्तु न्यायालय में डी0वी0डी0 चलाये जाने की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण न्यायालय की अनुमति से साक्षी की मुख्य परीक्षा अग्रिम तिथि तक स्थगित की गयी।

पत्रावली दिनांक 31.01.2023 को अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू-1 हेतु पेश हो।

(शिवानी नाहर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत।